

प्रेषक,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष,
विधायी एवं संसदीय कार्य,
विधायी प्रकोष्ठ,
उत्तराखण्ड शासन।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, विधायी प्रकोष्ठ

देहरादून: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2015

विषय: पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 110/XXXVI(3)/वि0प्र0/2015-16 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान के अन्तर्गत पुनर्विनियोग कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए संलग्न अलोटमेंट आईडी संख्या S1510070225 दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न उल्लिखित मद में कुल ₹80,000.00 मात्र (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्रम संख्या	योजना/मानक मद	(धनराशि हजार ₹ में) स्वीकृत धनराशि
01	06-अन्य भत्ते	80
कुल योग ₹ अस्सी हजार मात्र		80

- पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-08 में अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 07 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
- उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देते हैं जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
- उक्त मद में धनराशि का व्यय बजट प्राविधान की सीमाओं में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. धनराशि का उपयोग उसी निमित्त किया जाय, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है।
7. धनराशि का नियमानुसार उपयोग तथा सर्वप्रथम पुराने देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. उक्तवत् स्वीकृत धनराशि के व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-12-विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान के अन्तर्गत 06-अन्य भत्ते के नामे डाला जायेगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 127NP/XXVII(5)/2015-16 दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-यथोपरी।

भवदीय,

(जय देव सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या -126 / XXXVI(3) / वि0प्र0 / 2015-16 / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-05, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें (डाटा सेन्टर) 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(जय देव सिंह)
प्रमुख सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs (S058)

आवंटन पत्र संख्या - .

मुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1510070225

आवंटन पत्र दिनांक -26-Oct-2015

HOD Name - Principal Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs (4663)

लेखा शीर्षक	2052 - सचिवालय-सामान्य सेवार्थे	00 -
	090 - सचिवालय	
	00 - विधायी प्रकोष्ठ	12 - विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	900000	0	900000
03 - महंगाई भत्ता	1125000	0	1125000
04 - यात्रा व्यय	10000	0	10000
06 - अन्य भत्ते	150000	80000	230000
08 - कार्यालय व्यय	25000	0	25000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	20000	0	20000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20000	0	20000
13 - टेलीफोन पर व्यय	15000	0	15000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	150000	0	150000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	1250000	0	1250000
22 - अतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	5000	0	5000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिगति	100000	0	100000
42 - अन्य व्यय	50000	0	50000
44 - प्रशिक्षण व्यय	20000	0	20000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	100000	0	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	35000	0	35000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तन्त्रामन्त्री	50000	0	50000
	4025000	80000	4105000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

80000

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव
विधायी एवं संसदीय कार्य
उत्तराखण्ड शासन

